भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1842

14 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

1842. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्र सरकार की आठ योजनाओं तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है और यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या स्ट्रीट वेंडरों (रेहड़ी-पटरी और ठेले पर सामान बेचने वालों) की सहायता के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के लाभार्थियों का राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर ओडिशा और महाराष्ट्र को अब तक आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसमें क्या कमी पाई गई;

(छ) इन कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस योजना का लाभ सभी स्ट्रीट वेंडरों को विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा के सभी स्ट्रीट वेंडरों को मिल सके?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): जी हाँ। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 4 जनवरी, 2021 को 125 चुनिंदा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 'स्वनिधि से समृद्धि' की शुरुआत की। यह कार्यक्रम पीएमस्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा

प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की 8 चयनित कल्याणकारी योजनाओं से लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है; जिनके नाम है: (i) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (ii) पीएम सुरक्षा बीमा योजना (iii) प्रधान मंत्री जन धन योजना (iv) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) के तहत पंजीकरण (v) प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (vi) वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) (vii) प्रधान मातृ जननी सुरक्षा योजना और (viii) प्रधान मंत्री मातृ वन्दना योजना (पीएमएमवीवाई)।

(ख): जी हाँ। प्रधानमंत्री पथ-विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई है ।

(ग): पीएम स्वनिधि योजना के तहत ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों सहित लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में है।

(घ): पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधि जारी नहीं की जाती है। ऋण की राशि विभिन्न ऋण दाता संस्थानों द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में संवितरित की जाती है।

(ङ) से (ज): जी हाँ। मंत्रालय नियमित आधार पर प्रगति की निगरानी के लिए पीएमस्वनिधि योजना के सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर रहा है । राज्य/यूएलबी योजना के तहत पात्र पथ-विक्रेताओं की पहचान और नए आवेदनों को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए, मंत्रालय पहल कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी/ऋण दाता संस्थाओं के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना और समय-समय पर रेडियो जिंगल और टेलीविजन विज्ञापनों के प्रसारण जैसे जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को योजना का लाभ उठाने के लिए विक्रेताओं तक पहुंच और लाभ के प्रसार के लिए नियमित रूप से स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी प्रदान की गई है। इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों की संख्या 34.63 लाख से बढ़कर 56.80 लाख हो गई है।

****

14 दिसंबर 2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

पीएम स्वनिधि के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों का विवरण।

(दिनांक 08.12.2023 तक)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	534
2	आंध्र प्रदेश	3,04,022
3	अरुणाचल प्रदेश	4,301
4	असम	1,07,372
5	बिहार	94,744
6	चंडीगढ़	4,836
7	छतीसगढ़	69,439
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	2,013
9	दिल्ली	1,46,044
10	गोवा	1,488
11	गुजरात	4,14,777
12	हरियाणा	1,09,908
13	हिमाचल प्रदेश	5,121
14	जम्मू और कश्मीर	16,003
15	झारखंड	72,605
16	कर्नाटक	3,19,692
17	केरल	69,444
18	लद्दाख	414
19	मध्य प्रदेश	7,32,346
20	महाराष्ट्र	**6,78,466**
21	मणिपुर	9,374
22	मेघालय	2,408
23	मिजोरम	1,645
24	नागालैंड	2,581
25	**ओडिशा**	**55,017**
26	पुदुचेरी	3,010
27	पंजाब	1,37,175
28	राजस्थान	1,28,799
29	सिक्किम	974
30	तमिलनाडु	3,57,570
31	तेलंगाना	4,01,091
32	त्रिपुरा	4,889
33	उत्तर प्रदेश	12,40,522
34	उत्तराखंड	21,994
35	पश्चिम बंगाल	1,60,249
	कुल	**56,80,867**